

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जंलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 60/2024

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

मनोज महेश्वरी पुत्र चम्पालाल निवासी पिपली गली, नागौर।
मैसर्स:- आर आर फूड, खसरा नम्बर 62, एनएच-62, चिमरानी, नागौर।

आदेश

दिनांक : 11.07.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 29-05-2024 को मैसर्स आर आर फूड, खसरा नम्बर 62, एनएच-62, चिमरानी, नागौर पर खाद्य पदार्थ Chhole Masala (Masala Raaj) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3008 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/676/एक्ट /2024/696 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना Chhole Masala (Masala Raaj) खाद्य पदार्थ Contravin to regulation nuber to 2.9.20.2(5) and 2.9.20.2(6) का उल्लंघन होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त मनोज महेश्वरी पुत्र चम्पालाल निवासी पिपली गली, नागौर ने एफ.एस. एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (v) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-11-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता ने दिनांक 29.01.2025 वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 11.07.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से Chhole Masala (Masala Raaj) का सैम्पल लिया जो जांच में contravenes to regulation होना पाया गया, भविष्य में Chhole Masala (Masala Raaj) बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/674/एक्ट /2024/694 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Chhole Masala (Masala Raaj) का नमूना Contravin to regulation nuber to 2.9.20.2(5) and 2.9.20.2(6) होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी मनोज महेश्वरी पुत्र चम्पालाल निवासी पिपली गली, नागौर पर रुपये 2,000/- अक्षरे दो हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)